

सिमडेगा समाहरणालय, सिमडेगा ।

(भू-अर्जन शाखा)

प्रपत्र VI 'क'

झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अर्जन निदेशालय)

या

समहर्ता या समुचित सरकार

प्रारम्भिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1)के अधीन)

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता सिमडेगा को यह प्रतीत होता है कि ग्राम बांसजोर थाना- जलडेगा थाना न0 - 18 अंचल- बांसजोर जिला- सिमडेगा में भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना- बांसजोर अन्तर्राज्यीय चेक पोस्ट प्रवेश पथ निर्माण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-बांसजोर, थाना- जलडेगा, थाना न0 - 18 अंचल-बांसजोर, जिला- सिमडेगा में कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.58एकड़ यानि 0.23432हेक्टेयर मानक माप का भूखण्ड जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है-

क्रम संख्या	खाता सं0	सर्वे भूखण्ड सं0	स्वमित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल एकड़ में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	भूखण्ड की चौहदी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	99	391	रैयती	दोन ii	0.05	मेंजस पन्ना वो पाइकस पन्ना पेशरान प्रभुसहाय उरांव।	उ0 टांड लुकस उरांव। द0 सड़क।
	181	394	रैयती	टांड ii	0.06		उ0 मकान नीज। द0 परती गड़हा।
	181	395	रैयती	परतीकदीम	0.06		उ0 टांड नीज। द0 सड़क।
	181	450	रैयती	टांड ii	0.07		उ0 टांड स्टीफन मुण्डा। द0 सड़क।
	कुल:-				0.24		

2	199	421	रैयती	टांड ii	0.07	इलियाजर पन्ना वो नेम्हस पन्ना पेशरान	उ0 मकान/2 द0 सहन/1
		520	रैयती	टांड i	0.095	पतरस पन्ना ।	उ0 सड़क द0 टांड दानिएल मुण्डा
	कुल:-				0.16		
3	39	500	रैयती	टांड ii	0.135	दिलोन एक्का वो बेलहेम एक्का पेशरान रेजन एक्का वो लवंग एक्का वो सुनील एक्का पेशरान अभिराम एक्का वो पतरस एक्का वो जेम्स एक्का पेशरान धर्मदास उरांव ।	उ0 सड़क द0 टोड़ नीज
4	77	518	रैयती	टांड ii	0.04	निर्मल डांग वो मनसीध डांग वो चारलेस डांग वो प्रफुल डांग वो नेम्हस डांग पेशरान सामुएल डांग वो जोहन डांग पिता मनसीध डांग वो अमृत डांग वो कुशल डांग वो आशिव डांग वो जीवन डांग वो फूलमनी डांग पति दानिएल डांग ।	उ0 परती कदीम द0 टांड नीज
कुल रकबा-					0.58		

यह अधिसूचना भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 अधिनियम संख्या- 30/2013 की धारा -11 के उपबंधों

के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है। भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता सिमडेगा -सह- समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने किसी भूमि के किसी स्तर को मापने

के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन- छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4)के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा- 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ(60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार का आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

समाहर्ता
सिमडेगा।

सिमडेगा समाहरणालय, सिमडेगा।

(भू-अर्जन शाखा)

प्रपत्र VI 'क'

झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अर्जन निदेशालय)

या

समहर्ता या समुचित सरकार

प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रारूप

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1)के अधीन)

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1)के अधीन)

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता सिमडेगा को यह प्रतीत होता है कि ग्राम बांसजोर थाना- जलडेगा थाना न0 - 18 अंचल- बांसजोर जिला- सिमडेगा में भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना- बांसजोर अन्तर्राज्यीय चेक पोस्ट प्रवेश पथ निर्माण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-बांसजोर थाना- जलडेगा थाना न0 -18 अंचल-बांसजोर जिला- सिमडेगा में कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.58 एकड़ यानि 0.23432हेक्टेयर मानक माप का भूखण्ड जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है-

क्रम संख्या	खाता सं0	सर्वे भूखण्ड सं0	स्वमित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल एकड़ में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	भूखण्ड की चौहदी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	99	391	रैयती	दोन ii	0.05	मेंजस पन्ना वो पाइकस पन्ना पेशरान प्रभुसहाय उरांव।	उ0 टांड लुकस उरांव। द0 सड़क।
	181	394	रैयती	टांड ii	0.06		उ0 मकान नीज। द0 परती गड़हा।
	181	395	रैयती	परतीकदीम	0.06		उ0 टांड नीज। द0 सड़क।

	181	450	रैयती	टांड ii	0.07		उ0 टांड स्टीफन मुण्डा । द0 सड़क।
	कुल:-				0.24		
2	199	421	रैयती	टांड ii	0.07	इलियाजर पन्ना वो नेम्हस पन्ना पेशरान पतरस पन्ना ।	उ0 मकान/2 द0 सहन/1
		520	रैयती	टांड i	0.095		उ0 सड़क द0 टांड दानिएल मुण्डा
	कुल:-				0.16		
3	39	500	रैयती	टांड ii	0.135	दिलोन एक्का वो बेलहेम एक्का पेशरान रेजन एक्का वो लवंग एक्का वो सुनील एक्का पेशरान अभिराम एक्का वो पतरस एक्का वो जेम्स एक्का पेशरान धर्मदास उरांव ।	उ0 सड़क द0 टोड़ नीज
4	77	518	रैयती	टांड ii	0.04	निर्मल डांग वो मनसीध डांग वो चारलेस डांग वो प्रफुल डांग वो नेम्हस डांग पेशरान सामुएल डांग वो जोहन डांग पिता मनसीध डांग वो अमृत डांग वो कुशल डज़ंग वो आशिब डांग वो जीवन डांग वो फूलमनी डांग पति दानिएल डांग ।	उ0 परती कदीम द0 टांड नीज
	कुल रकबा-				0.58		

यह अधिसूचना भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 अधिनियम संख्या- 30/2013 की धारा -11 के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है। भूमि की योजना का निरीक्षण

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता सिमडेगा –सह- समुचित सरकार उक्त

अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टी करने किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन- छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4)के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा- 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ(60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार का आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

कानूनगो भू-अर्जन
सिमडेगा

भू-अर्जन पदाधिकारी
सिमडेगा

अपर समाहर्ता
सिमडेगा

समाहर्ता
सिमडेगा।

समाहरणालय सिमडेगा।
 प्रपत्र VI “क”
 झारखण्ड सरकार
 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
 (भू-अर्जन निदेशालय)

या
 समहर्ता या समुचित सरकार
 प्रारम्भिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1)के अधीन)

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम कुटमाकच्छार थाना- कुरडेग थाना न0 -04 अंचल- कुरडेग जिला- सिमडेगा में भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना- सिमडेगा से सेवई, किनकेल, कुरडेग, कुटमाकच्छार छतीसगढ़ सीमा पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-कुटमाकच्छार थाना- कुरडेग थाना न0 -04 अंचल- कुरडेग जिला- सिमडेगा में कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.15एकड़ यानि 0.0606 हेक्टेयर मानक माप का भूखण्ड जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है-

क्रम संख्या	खाता सं०	सर्वे भूखण्ड सं०	स्वमित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल एकड़ में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	भूखण्ड की चौहदी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	316	3982	रैयती	आवासेय योग्य	0.15	ईश्वर साव पिता स्व० मगन साव	उ०-प्लॉट न० 3982 का अंश। द०- प्लॉट न० 3982 का अंश। पू०- सड़क। प०- प्लॉट न० 3982 का अंश
कुल रकबा-					0.15		

यह अधिसूचना भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में अचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 अधिनियम संख्या- 30/2013 की धारा -11 के उपबधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है। भूमि की योजना का निरीक्षण

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह- समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टी करने किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन- छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4)के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क़य/विक़य नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा- 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ(60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार का आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

समाहर्ता
सिमडेगा।